(3)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 4430–एक / 12

जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–3–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 58 / 10–11 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–10–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किए जाने संबंधी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई, जो अपर कलेक्टर ने निरस्त की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 का आवेदन पत्र सद्भावनापूर्वक दिए जाने से स्वीकार किया गया है । विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है और आवेदक यह बताने में असमर्थ रहा है कि विवेक का उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों ने न्यायिक दृष्टि से नहीं किया गया है । प्रकरण का निराकरण अभी गुणदोष पर होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ....R........ ।।../ 12

R - 4430 - I/12

1—पुष्पा देवी बेबा पत्नी सुरेन्द्र सिंह

2—हरेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह

3—हरवेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह

दोनों नाबालिग सरपरस्त मां पुष्पा देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम विण्डवा तह0 पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

..........................आवेदक

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभि0
द्वारा आज दि 28.12.12 को
प्रस्तुत
28/12/12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1—रामसिया सिंह पुत्र बाबू सिंह

2—राजेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह

3—वीरेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह

4—सत्यवती बेबा बाबूसिंह

समस्त जाति ठाकुर निवासी ग्राम विण्डवा तहसील पोरसा जिला मुरैना

.......................अनावेदक

28/12/12

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 31/10/2012 न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय मुरैना के प्र0क0 58/10—11 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है—

01— यह कि मौजा विण्डवा तह0 पोरसा जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 100